

सूचना

सर्व साधारण का सूचित किया जाता है कि निम्नांकित दुकानों की वित्तीय वर्ष 2015-2016 की अवधि हेतु नीलामी बोली, पृथक-पृथक नजारत, जिला जजी, बांदा में दिनांक 08.05.2015 को सांय 4.00 बजे से निम्नानुसार होगी:-

क्रमांक	दुकान का प्रकार (जजी परिसर)	जमानत धनराशि	बोली का समय
1	फोटोकापी शाप	रु0 5000/-	सांय 4.00 बजे से
2	कैण्टीन (मुख्य न्यायालय भवन)	रु0 10000/-	सांय 4.00 बजे से
3	कैण्टीन (बहुखण्डीय न्यायालय भवन)	रु0 10000/-	सांय 4.00 बजे से

- बोली बोलने वाले को बोली से पूर्व उपरोक्तानुसार पृथक-पृथक नकद जमानत धनराशि जमा करनी होगी, जो बोली समाप्त होने के पश्चात स्वीकृत बोली के अतिरिक्त, शेष बोली बोलने वालों को लौटा दी जायेगी।
- बोली स्वीकृत होने की दशा में, स्वीकृत बोली की 1/4 राशि उसी समय नकद जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि तय किस्तों में देय होगी।
- जल एवं विद्युत व्यवस्था, ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।
- खाद्य सामग्री की बिक्री विभागीय कमेटी द्वारा निर्धारित मात्रा व दरों पर ही करना अनिवार्य होगी।
- कैण्टीन व न्यायालय परिसर में पान, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा तथा पान मसाला आदि की बिक्री पूर्णतः वर्जित है।

बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने व नीलामी की तिथि स्थगित करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा। नीलामी से सम्बन्धित अन्य जानकारी केन्द्रीय नाजिर जिला जजी, बांदा से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक:

(बृजलाल चौरसिया)
अध्यक्ष, नीलामी / बोली समिति /
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्ष०एक्ट),
बांदा।

प्रतिलिपि, निम्नांकित कार्यालयों के सूचना पट पर चस्पा एवं प्रकाशन कराये जाने हेतु :-

- सूचना पट, जिला सूचनाधिकारी, बांदा।
- सूचना पट, अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, बांदा।
- सूचना पट, नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, बांदा।
- सूचना पट, जिला परिषद, बांदा।
- सूचना पट, नगर पालिका परिषद, बांदा।
- सूचना पट, जनपद न्यायालय, बांदा।
- प्रधान सम्पादक, दैनिक कर्मयुग प्रकाशन निःशुल्क प्रकाशन हेतु
- प्रधान सम्पादक, दैनिक श्री इण्डिया निःशुल्क प्रकाशन हेतु
- प्रधान सम्पादक, दैनिक दोआबा वार्ता निःशुल्क प्रकाशन हेतु
- प्रधान सम्पादक, दैनिक न्यायाधीश निःशुल्क प्रकाशन हेतु
- कम्प्यूटर अनुभाग, जिला जजी, बांदा
- कम्प्यूटर अनुभाग, जिलाधिकारी, बांदा

(बृजलाल चौरसिया)
अध्यक्ष, नीलामी / बोली समिति /
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्ष०एक्ट)